स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 46

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		16765.63	2733.33	19498.96	16334.71	3014.00	19348.71	19778.99	2530.00	22308.99
पूंजी		*1614.37*	*...*	*1614.37*	*868.29*	*...*	*868.29*	*1221.01*	*...*	*1221.01*
जोड़		**18380.00**	**2733.33**	**21113.33**	**17203.00**	**3014.00**	**20217.00**	**21000.00**	**2530.00**	**23530.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	2.50	38.50	41.00	2.50	38.50	41.00	2.60	42.05	44.65
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	1.00	1.00	...	0.50	0.50	...	1.00	1.00
(I) स्वास्थ्य										
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	2210	1.00	39.00	40.00	1.28	41.23	42.51	1.63	35.75	37.38
4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय	2210	14.19	4.12	18.31	18.19	4.58	22.77	17.00	4.12	21.12
	4210	0.70	...	0.70	0.30	...	0.30	0.70	...	0.70
	जोड़	*14.89*	*4.12*	*19.01*	*18.49*	*4.58*	*23.07*	*17.70*	*4.12*	*21.82*
5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	2210	36.00	497.00	533.00	46.64	567.00	613.64	33.00	495.00	528.00
	4210	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	27.65	...	27.65
	Total	*46.00*	*497.00*	*543.00*	*61.64*	*567.00*	*628.64*	*60.65*	*495.00*	*555.65*
अस्पताल और औषधालय										
6. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2210	44.00	157.00	201.00	98.42	185.90	284.32	77.00	160.00	237.00
	4210	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	36.60	...	36.60
	4216	5.00	...	5.00	1.50	...	1.50	5.00	...	5.00
	जोड़	*69.00*	*157.00*	*226.00*	*129.92*	*185.90*	*315.82*	*118.60*	*160.00*	*278.60*
7. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	2210	32.00	117.00	149.00	63.90	127.38	191.28	73.69	107.00	180.69
	4210	44.30	...	44.30	30.40	...	30.40	33.00	...	33.00
	4216	...	...	...	...	...	...	0.25	...	0.25
	जोड़	*76.30*	*117.00*	*193.30*	*94.30*	*127.38*	*221.68*	*106.94*	*107.00*	*213.94*
8. केन्द्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, रांची	2210	10.00	26.20	36.20	7.23	26.66	33.89	12.00	24.18	36.18
	4210	4.00	...	4.00	8.96	...	8.96	14.00	...	14.00
	4216	1.00	...	1.00	5.45	...	5.45	1.25	...	1.25
	जोड़	*15.00*	*26.20*	*41.20*	*21.64*	*26.66*	*48.30*	*27.25*	*24.18*	*51.43*
9. अखिल भारतीय काय औषध और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई	2210	2.50	8.00	10.50	3.99	8.00	11.99	3.00	8.00	11.00
	4210	0.50	...	0.50	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	*3.00*	*8.00*	*11.00*	*3.99*	*8.00*	*11.99*	*5.00*	*8.00*	*13.00*
10. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	2210	15.00	22.00	37.00	15.61	24.26	39.87	16.00	23.26	39.26
	4210	2.50	...	2.50	3.90	...	3.90	6.00	...	6.00
	4216	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*18.00*	*22.00*	*40.00*	*20.51*	*24.26*	*44.77*	*24.00*	*23.26*	*47.26*
11. सीजीएचएस पेंशनभोगी चिकित्सा उपचार	2071	...	333.33	333.33	...	377.77	377.77	...	377.87	377.87
जोड़ - अस्पताल और औषधालय		**181.30**	**663.53**	**844.83**	**270.36**	**749.97**	**1020.33**	**281.79**	**700.31**	**982.10**
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान										
12. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीटयूट, दिल्ली विश्वविद्यालय	2210	10.00	17.00	27.00	12.00	17.00	29.00	12.00	13.00	25.00
13. कैंसर अनुसंधान	2210	77.00	9.05	86.05	27.00	11.64	38.64	155.00	9.05	164.05
14. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	2210	15.00	95.00	110.00	22.00	116.00	138.00	40.00	97.00	137.00
	4210	40.00	...	40.00	43.50	...	43.50	34.00	...	34.00
	4216	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*60.00*	*95.00*	*155.00*	*70.50*	*116.00*	*186.50*	*79.00*	*97.00*	*176.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	संशोधित 2009-2010 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2009-2010 जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	बजट 2010-2011 आयोजना-भिन्न	बजट 2010-2011 जोड़
15. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2210	177.00	500.00	677.00	320.51	566.00	886.51	400.00	400.00	800.00
16. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संस्थान, बंगलौर	2210	48.00	70.00	118.00	54.38	71.31	125.69	58.35	55.03	113.38
17. अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	2210	19.00	8.00	27.00	19.00	8.30	27.30	21.85	8.00	29.85
18. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	2210	75.00	310.00	385.00	75.00	317.00	392.00	90.00	220.00	310.00
19. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	2210	115.00	160.00	275.00	115.00	160.00	275.00	132.00	120.00	252.00
	4210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*115.00*	*160.00*	*275.00*	*115.00*	*160.00*	*275.00*	*132.00*	*120.00*	*252.00*
20. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा	2210	23.00	...	23.00	28.60	...	28.60	27.00	...	27.00
21. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	2210	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	4210	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*15.00*	*...*	*15.00*	*10.00*	*...*	*10.00*	*7.00*	*...*	*7.00*
22. डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	2210	8.00	...	8.00	4.50	...	4.50	11.01	...	11.01
	4210	0.50	...	0.50	0.49	...	0.49	0.05	...	0.05
	जोड़	*8.50*	*...*	*8.50*	*4.99*	*...*	*4.99*	*11.06*	*...*	*11.06*
23. एम्स की तरह के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल-सह शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	2210	148.00	...	148.00	38.11	...	38.11	50.00	...	50.00
	4210	1119.92	...	1119.92	569.00	...	569.00	650.00	...	650.00
	4216	180.00	...	180.00	76.47	...	76.47	50.00	...	50.00
	जोड़	*1447.92*	*...*	*1447.92*	*683.58*	*...*	*683.58*	*750.00*	*...*	*750.00*
24. अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	2210	4.10	7.37	11.47	2.77	8.83	11.60	5.00	8.50	13.50
जोड़ चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान		**2079.52**	**1176.42**	**3255.94**	**1423.33**	**1276.08**	**2699.41**	**1748.26**	**930.58**	**2678.84**
जन स्वास्थ्य										
25. पत्तन/विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन/प्रतिष्ठान (पोतों के डिरेटाइजेशन सहित)	2210	0.80	18.75	19.55	1.30	20.88	22.18	0.95	18.88	19.83
26. क्षय रोग/कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान	2210	3.49	15.66	19.15	4.02	18.92	22.94	3.50	18.08	21.58
	4210	2.15	...	2.15	1.02	...	1.02	2.31	...	2.31
	4216	...	...	...	...	...	...	0.60	...	0.60
	जोड़	*5.64*	*15.66*	*21.30*	*5.04*	*18.92*	*23.96*	*6.41*	*18.08*	*24.49*
27. नर्सिंग सेवाओं का विकास	2210	15.00	...	15.00	1.00	...	1.00	17.00	...	17.00
28. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	6.95	20.50	27.45	19.40	20.92	40.32	18.00	22.48	40.48
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	जोड़	*7.00*	*20.50*	*27.50*	*19.45*	*20.92*	*40.37*	*18.05*	*22.48*	*40.53*
29. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2210	973.00	...	973.00	888.15	...	888.15	1266.25	...	1266.25
	4210	20.00	...	20.00	...	...	...	25.00	...	25.00
	जोड़	*993.00*	*...*	*993.00*	*888.15*	*...*	*888.15*	*1291.25*	*...*	*1291.25*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	1229.02	...	1229.02
30. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	2210	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00	103.00	...	103.00
31. खाद्य अपमिश्रण निवारण (स्टेपल भोजन के विटामिन एवं मिनरल पुष्टिकरण की व्यवहार्यता जांच स्कीम की परियोजना सहित)	2210	11.00	6.00	17.00	33.00	3.33	36.33	12.65	2.54	15.19

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
32. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन	2210	17.82	15.00	32.82	31.26	16.11	47.37	30.35	16.43	46.78
33. सीरा एवं वैक्सीन का विनिर्माण	2210	19.15	12.50	31.65	19.15	12.50	31.65	22.02	12.50	34.52
	4210	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*20.15*	*12.50*	*32.65*	*19.15*	*12.50*	*31.65*	*23.02*	*12.50*	*35.52*
34. जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	2210	25.50	32.33	57.83	20.30	32.88	53.18	29.75	32.33	62.08
	4210	...	...	...	...	...	...	18.00	...	18.00
	जोड़	*25.50*	*32.33*	*57.83*	*20.30*	*32.88*	*53.18*	*47.75*	*32.33*	*80.08*
35. जन स्वास्थ्य शिक्षा	2210	6.45	25.50	31.95	5.45	34.70	40.15	7.62	30.98	38.60
	4210	10.30	...	10.30	10.30	...	10.30	1.60	...	1.60
	जोड़	*16.75*	*25.50*	*42.25*	*15.75*	*34.70*	*50.45*	*9.22*	*30.98*	*40.20*
36. आपातकालीन चिकित्सा राहत सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन	2210	18.00	...	18.00	245.00	...	245.00	96.00	...	96.00
37. लाला रामस्वरुप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	20.24	13.00	33.24	30.59	14.41	45.00	30.00	11.00	41.00
38. हजयात्रियों के टीकाकरण के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की खरीद	2210	...	7.00	7.00	...	3.76	3.76	...	6.00	6.00
39. अभिघात केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता	2210	107.00	...	107.00	70.00	...	70.00	99.00	...	99.00
	4210	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	4216	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*107.00*	*...*	*107.00*	*70.00*	*...*	*70.00*	*100.00*	*...*	*100.00*
40. राष्ट्रीय आरोग्य निधि	2210	25.00	7.00	32.00	25.00	8.50	33.50	...	7.00	7.00
	3601	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
	3602	...	1.00	1.00	...	...	...	...	1.00	1.00
	जोड़	*25.00*	*13.00*	*38.00*	*25.00*	*13.50*	*38.50*	*...*	*13.00*	*13.00*
41. अन्य स्वास्थ्य योजनाएं										
41.1 निगरानी समिति	2210	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	150.00	...	150.00
	4210	35.00	...	35.00	...	...	...	100.00	...	100.00
	4216	15.00	...	15.00	...	...	...	50.00	...	50.00
	जोड़	*100.00*	*...*	*100.00*	*50.00*	*...*	*50.00*	*300.00*	*...*	*300.00*
41.2 तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	2210	24.00	...	24.00	14.00	...	14.00	39.00	...	39.00
41.3 लोक स्वास्थ्य संस्थान	2210	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
41.4 टेली मेडिसिन	2210	15.00	...	15.00	0.01	...	0.01	17.00	...	17.00
41.5 राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवेस्कूलर रोग एवं आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम	2210	27.00	...	27.00	17.00	...	17.00	90.00	...	90.00
41.6 राष्ट्रीय बधिरता कार्यक्रम	2210	10.00	...	10.00	12.13	...	12.13	11.50	...	11.50
41.7 नई पहलें	2210	30.49	...	30.49	24.36	...	24.36	107.45	...	107.45
	4210	58.50	...	58.50	53.00	...	53.00	58.49	...	58.49
	जोड़	*88.99*	*...*	*88.99*	*77.36*	*...*	*77.36*	*165.94*	*...*	*165.94*
41.8 अन्य स्कीमें	2210	8.90	6.08	14.98	6.21	7.26	13.47	9.28	6.08	15.36
41.9 जिला अस्पताल	2210	36.00	...	36.00	16.00	...	16.00	200.00	...	200.00
41.10 मानव स्वास्थ्य संसाधन	2210	47.00	...	47.00	16.11	...	16.11	237.00	...	237.00
	4210	15.00	...	15.00	...	...	...	73.00	...	73.00
	4216	...	...	...	...	...	...	13.00	...	13.00
	जोड़	*62.00*	*...*	*62.00*	*16.11*	*...*	*16.11*	*323.00*	*...*	*323.00*
41.11 स्वास्थ्य बीमा	2210	44.00	...	44.00	23.69	...	23.69	9.00	...	9.00
	जोड़	*416.89*	*6.08*	*422.97*	*232.51*	*7.26*	*239.77*	*1165.72*	*6.08*	*1171.80*
42. मेडिकल स्टोर संगठन	4210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2210	...	40.00	40.00	...	42.00	42.00	...	40.00	40.00
	जोड़	*...*	*40.00*	*40.00*	*...*	*42.00*	*42.00*	*...*	*40.00*	*40.00*
जोड़ - जन स्वास्थ्य		**1759.79**	**225.32**	**1985.11**	**1687.50**	**241.17**	**1928.67**	**2951.37**	**230.30**	**3181.67**
जोड़ - स्वास्थ्य		**4082.50**	**2605.39**	**6687.89**	**3462.60**	**2880.03**	**6342.63**	**5061.40**	**2396.06**	**7457.46**
जोड़ - ईएपी संघटक		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**1229.02**	**...**	**1229.02**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	संशोधित 2009-2010 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2009-2010 जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	बजट 2010-2011 आयोजना-भिन्न	बजट 2010-2011 जोड़
(II) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन										
43. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम										
43.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	136.95	7.67	144.62	168.59	7.38	175.97	154.33	6.95	161.28
	3601	262.25	...	262.25	191.04	...	191.04	199.90	...	199.90
	3602	0.58	...	0.58	0.15	...	0.15	0.14	...	0.14
	जोड़	*399.78*	*7.67*	*407.45*	*359.78*	*7.38*	*367.16*	*354.37*	*6.95*	*361.32*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	136.36	...	136.36
43.02 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	276.25	...	276.25	276.25	...	276.25	311.00	...	311.00
	3601	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	18.00	...	18.00
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*296.25*	*...*	*296.25*	*296.25*	*...*	*296.25*	*330.00*	*...*	*330.00*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	265.80	...	265.80
43.03 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	34.00	...	34.00	34.00	...	34.00	36.32	...	36.32
	3601	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*40.00*	*...*	*40.00*	*40.00*	*...*	*40.00*	*40.82*	*...*	*40.82*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
43.04 राष्ट्रीय ट्रेकोमा एवं अंधता निवारण कार्यक्रम	2210	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	234.00	...	234.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*225.00*	*...*	*225.00*	*225.00*	*...*	*225.00*	*234.00*	*...*	*234.00*
43.05 राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	2210	32.70	...	32.70	23.70	...	23.70	37.70	...	37.70
	3601	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
	3602	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	जोड़	*37.00*	*...*	*37.00*	*26.00*	*...*	*26.00*	*42.00*	*...*	*42.00*
43.06 राष्ट्रीय समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम	2210	45.50	...	45.50	40.50	...	40.50	29.00	...	29.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*45.50*	*...*	*45.50*	*40.50*	*...*	*40.50*	*29.00*	*...*	*29.00*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	29.00	...	29.00
43.07 राष्ट्रीय नशामुक्ति नियंत्रण कार्यक्रम	2210	11.82	...	11.82	13.40	...	13.40	13.00	...	13.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*11.82*	*...*	*11.82*	*13.40*	*...*	*13.40*	*13.00*	*...*	*13.00*
जोड़ - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम		**1055.35**	**7.67**	**1063.02**	**1000.93**	**7.38**	**1008.31**	**1043.19**	**6.95**	**1050.14**
44. निदेशन और प्रशासन	2211	6.73	9.41	16.14	8.25	13.37	21.62	8.40	10.46	18.86
	3601	286.12	...	286.12	244.76	...	244.76	321.80	...	321.80
	3602	7.80	...	7.80	4.97	...	4.97	7.30	...	7.30
	जोड़	*300.65*	*9.41*	*310.06*	*257.98*	*13.37*	*271.35*	*337.50*	*10.46*	*347.96*
45. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप केंद्र)	2211	6.71	...	6.71	8.26	...	8.26	8.46	...	8.46
	3601	2324.86	...	2324.86	2529.06	...	2529.06	2782.60	...	2782.60
	3602	3.70	...	3.70	2.97	...	2.97	2.50	...	2.50
	जोड़	*2335.27*	*...*	*2335.27*	*2540.29*	*...*	*2540.29*	*2793.56*	*...*	*2793.56*
46. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2211	0.78	...	0.78	1.18	...	1.18	0.90	...	0.90
	3601	140.48	...	140.48	129.25	...	129.25	157.60	...	157.60
	3602	15.80	...	15.80	14.58	...	14.58	13.50	...	13.50
	जोड़	*157.06*	*...*	*157.06*	*145.01*	*...*	*145.01*	*172.00*	*...*	*172.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
47. गर्भ निरोधन										
47.01 गर्भ निरोधकों										
(कंडोमों को छोड़कर)	2211	1.00	...	1.00	0.27	...	0.27	1.45	...	1.45
का निःशुल्क वितरण	3601	60.00	...	60.00	39.43	...	39.43	47.20	...	47.20
	3602	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	0.85	...	0.85
	जोड़	*62.00*	...	*62.00*	*40.00*	...	*40.00*	*49.50*	...	*49.50*
47.02 गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन (कंडोमों के सामाजिक विपणन के अतिरिक्त)	2211	38.50	...	38.50	25.00	...	25.00	34.50	...	34.50
47.03 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के लिए कंडोमों का निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन	2210	270.00	...	270.00	203.00	...	203.00	274.00	...	274.00
जोड़ - गर्भ निरोधन		**370.50**	**...**	**370.50**	**268.00**	**...**	**268.00**	**358.00**	**...**	**358.00**
48. प्रजनन और बाल	2211	10.00	...	10.00	11.94	...	11.94	14.22	...	14.22
स्वास्थ्य परियोजना	3601	88.10	...	88.10	138.10	...	138.10	176.00	...	176.00
	3602	1.40	...	1.40	1.40	...	1.40	3.00	...	3.00
	जोड़	*99.50*	...	*99.50*	*151.44*	...	*151.44*	*193.22*	...	*193.22*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	180.00	...	180.00
49. नेमी रोग प्रतिरक्षण	2211	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
	3601	370.21	...	370.21	370.21	...	370.21	396.00	...	396.00
	3602	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	16.00	...	16.00
	जोड़	*388.21*	...	*388.21*	*388.21*	...	*388.21*	*417.00*	...	*417.00*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	37.18	...	37.18
50. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण	2211	574.27	...	574.27	597.27	...	597.27	456.57	...	456.57
	3601	510.62	...	510.62	545.12	...	545.12	543.51	...	543.51
	3602	18.00	...	18.00	20.50	...	20.50	17.00	...	17.00
	जोड़	*1102.89*	...	*1102.89*	*1162.89*	...	*1162.89*	*1017.08*	...	*1017.08*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	561.51	...	561.51
51. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी)	2211	166.31	5.44	171.75	166.31	5.18	171.49	182.94	6.21	189.15
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	68.66	...	68.66
52. राज्यों और केंद्र के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान	2211	108.58	40.77	149.35	40.51	44.26	84.77	39.30	42.08	81.38
	3601	89.28	...	89.28	76.86	...	76.86	102.66	...	102.66
	3602	0.76	...	0.76	0.32	...	0.32	0.92	...	0.92
	4211	8.50	...	8.50	3.00	...	3.00	4.51	...	4.51
	जोड़	*207.12*	*40.77*	*247.89*	*120.69*	*44.26*	*164.95*	*147.39*	*42.08*	*189.47*
53. अनुसंधान संस्थान	2211	17.68	...	17.68	16.58	...	16.58	18.80	...	18.80
54. राज्य परियोजना कार्यान्वियन योजनाओं का फ्लेक्सिबल पूल										
54.01 मिशन फ्लेक्सिबल पूल	2211	3033.67	...	3033.67	2742.57	...	2742.57	3569.70	...	3569.70
54.02 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सिबल पूल	2211	3048.49	...	3048.49	2958.00	...	2958.00	3396.50	...	3396.50
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	1074.11	...	1074.11
अन्य सेवाएं										
55. क्षेत्र परियोजनाएं										
55.01 इंडिया पापुलेशन प्रोजेक्टस	2211	12.51	...	12.51	5.84	...	5.84	6.67	...	6.67
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*12.51*	...	*12.51*	*5.84*	...	*5.84*	*6.67*	...	*6.67*
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	6.67	...	6.67
55.02 यूरोपीय आयोग से सहायता प्राप्त एसआईपी परियोजनाएं	2211	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
55.03 यूएसएआईडी से सहायता प्राप्त एसआईएफपीएसए परियोजना	2211	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	25.00	...	25.00
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
55.04 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि सहायता प्राप्त छठा कंट्री कार्यक्रम (सीपी-6) परियोजना	2211	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - क्षेत्र परियोजनाएं		**62.52**	**...**	**62.52**	**15.84**	**...**	**15.84**	**31.67**	**...**	**31.67**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	संशोधित 2009-2010 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2009-2010 जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	बजट 2010-2011 आयोजना-भिन्न	बजट 2010-2011 जोड़
56. परिवार कल्याण की अन्य योजनाएं										
56.01 परिवार कल्याण सम्बद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना	2211	6.00	...	6.00	18.33	...	18.33	15.00	...	15.00
56.02 गैर सरकारी संगठन (सार्वजनिक-निजी भागीदारी)	2211	9.15	...	9.15	2.58	...	2.58	1.65	...	1.65
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	...	...	...
56.03 प्रबंध सूचना प्रणाली	2211	64.52	...	64.52	36.50	...	36.50	100.00	...	100.00
ईएपी संघटक में से		...	...	...	...	...	...	...	...	...
56.04 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग	2211	4.00	...	4.00	1.75	...	1.75	4.00	...	4.00
56.05 सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजना	2211	1.40	...	1.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
56.06 अन्य योजनाएं	2211	23.71	8.71	32.42	20.30	8.34	28.64	32.90	8.75	41.65
57. अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	2211	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50
जोड़ - अन्य कल्याण योजनाएं		**111.78**	**8.71**	**120.49**	**82.86**	**8.34**	**91.20**	**157.45**	**8.75**	**166.20**
जोड़ - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		**12457.00**	**72.00**	**12529.00**	**12017.60**	**78.53**	**12096.13**	**13836.00**	**74.45**	**13910.45**
जोड़ - ईएपी संघटक में से		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**2388.79**	**...**	**2388.79**
58. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2210	...	16.44	16.44	...	16.44	16.44	...	16.44	16.44
59. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिकिक्म की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान										
59.01 एनआरएचएम के अन्तर्गत स्कीमें										
59.01.1 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2552	124.22	...	124.22	95.02	...	95.02	154.13	...	154.13
59.01.2 परिवार कल्याण	2552	1348.78	...	1348.78	1265.13	...	1265.13	1449.87	...	1449.87
	जोड़	*1473.00*	*...*	*1473.00*	*1360.15*	*...*	*1360.15*	*1604.00*	*...*	*1604.00*
ईएपी संघटक में से एनएचआरएम स्कीमें		...	...	...	...	...	...	224.44	...	224.44
59.02 स्वास्थ्य स्कीमें	2552	365.00	...	365.00	360.15	...	360.15	496.00	...	496.00
ईएपी संघटक में से (एनएसीओ)		...	...	...	...	...	...	143.75	...	143.75
जोड़ : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		**1838.00**	**...**	**1838.00**	**1720.30**	**...**	**1720.30**	**2100.00**	**...**	**2100.00**
60. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	...	...	...	...	...	...	...	...	...
घटाइये-कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	*3606*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल-सहायता सामग्री और उपस्कर		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़		***18380.00***	***2733.33***	***21113.33***	***17203.00***	***3014.00***	***20217.00***	***21000.00***	***2530.00***	***23530.00***
जोड़ ईएपी संघटक		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**3986.00**	**...**	**3986.00**
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. हॉस्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लि.		22210	...	...	...	...	...	...	...	...
ग. आयोजना परिव्यय										
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	22251	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.60	...	2.60
2. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22210	5137.85	...	5137.85	4463.53	...	4463.53	6104.59	...	6104.59
3. परिवार कल्याण	22211	11401.65	...	11401.65	11016.67	...	11016.67	12792.81	...	12792.81
4. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	1838.00	...	1838.00	1720.30	...	1720.30	2100.00	...	2100.00
जोड़		**18380.00**	**...**	**18380.00**	**17203.00**	**...**	**17203.00**	**21000.00**	**...**	**21000.00**

1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं : इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय के लिए व्यवस्था की जाती है।

3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयः इसमें चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विषयों पर तकनीकी विशेषज्ञता के लिए प्रावधान है और यह विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और उसकी मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी है और देश और बाहर जैव-चिकित्सा सूचना को एकत्र करने, संसाधित करने और उसकी आपूर्ति के लिए केद्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करता है।

4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय : यह भारत में जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान सूचना के केद्र के रूप में कार्य करता है और यह अपने सूचना उत्पादों और सेवाओं के जरिए देश भर के सभी चिकित्सा व्यावसायियों और चिकित्सकों तक पहुंचने का प्रयास करता है।

5. केद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना : यह संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व उपराष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत न्यायधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों आदि जैसे विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अतिरिक्त केद्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सुविधाओं में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्ध औषधालयों/यूनिटों के माध्यम से बाह्य रोगी परिचर्या करना शामिल है। इस समय इस योजना में देश भर के 23 शहरों में लगभग 44.72 लाख लाभार्थी (जिसमें केद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर शामिल हैं) शामिल हैं।

6. सफदरजंग अस्पताल : यह केद्रीय सरकार का अस्पताल है जिसमें 1531 पलंग हैं और यह दिल्ली और पडोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है। इसके परिसर में निःशुल्क आयुर्वेदिक, ओ.पी.डी., होम्योपैथिक ओ.पी.डी. सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

7. डां. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली : यह भी केद्रीय सरकार का अस्पताल है यहां पर 1000 पलंग हैं और यहां पर केद्रीय सरकार के कर्मचारियों और संसद सदस्यों आदि के लिए एक नर्सिंग होम भी है। इस अस्पताल का उद्देश्य लगभग सभी प्रमुख विभागों में विभिन्न स्पेशियलिटीज/सुपर स्पेशियलिटीज में गहन रोगी परिचर्या प्रदान करना है। इस अस्पताल में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के स्नातकपूर्व छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण केद्र भी है। इस अस्पताल द्वारा 75 छात्रों की क्षमता वाला एक नर्सिंग स्कूल भी चलाया जा रहा है।

8. केद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची : यह देश में मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख केद्रीय सरकारी संस्थान है। संस्थान में 673 पलंग हैं और यह दो पडोसी राज्यों अर्थात् नेपाल और भूटान की जरूरतों को भी पूरा करता है। नैदानिक और उपचार सुविधाओं के अलावा, यह मनश्चिकित्सा में स्नातकोतर पाठ्यक्रम भी चलाता है।

9. अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई : यह सारे दक्षिण एशिया में चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं की सुविधाओं वाला प्रमुख संस्थान है। संस्थान में 45 पलंग हैं और यह पुनर्वास चिकित्सा में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण एवं पुनर्वास चिकित्सा में अनुसंधान कार्य भी करता है।

10. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली : यह 350 पलंगों वाला केवल बाल रोगों का अस्पताल है और यह लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज द्वारा संचालित किया जाता है। यह बाल चिकित्सा, सर्जरी, अस्थि भंग और बच्चों के लिए गहन परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है। जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण की विदेशी सहायता से 150 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था के साथ विशेषज्ञ बाल चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए मौजूदा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

12. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली : यह वक्ष रोगों में व्यावहारिक एवं बुनियादी अनुसंधान, स्नातकोत्तर शिक्षण, रेफरल क्लिनिकल एवं प्रयोगशाला निदान सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान है। यह संकाय सदस्यों और भारत के विभिन्न भागों के चिकित्सकों के लिए श्वसन रोगों में अल्पाविधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

13. कैंसर अनुसंधान : इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईआरसीएच (एम्स), नई दिल्ली और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के अलावा अहमदाबाद, बंगलौर, कटक, ग्वालियर, इलाहाबाद, चैएंाई, त्रिवेद्रम, हैदराबाद, पटना, रोहतक, शिमला, बीकानेर, पांडिचेरी, रायपुर, आइजोल और नागपुर स्थित क्षेत्रीय कैंसर केद्रों को सहायता प्रदान की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कैंसर रोगियों के लिए और सरकारी मेडिकल कालेजों के अर्बुद विज्ञान स्कंधों के और जिला परियोजनाओं विकास के लिए राज्य सरकार की संस्थाओं को भी केद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

14. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली : इसे केद्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता है और यह महिलाओं को स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा पुरूष छात्रों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा महिलाओं और बच्चों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है। यह कालेज छात्रों को व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल से सम्बद्ध है। यह नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों के लिए नर्सिंग स्कूल भी चलाता है।

15. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली : इसे चिकित्सा सेवाओं के विभिन्न विषयों पर प्रयोग और अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। यहां पर 1803 पलंग है। डा. राजेद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केद्र इससे संबद्ध है। केद्रीय सरकार इस संस्थान को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संस्थान की कुछ अनुसंधान योजनाओं का वित्त पोषण विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है।

16. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर : यह एक स्वायत्त-शासी संस्था है जो भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है और यह संस्थान मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान में सेवाएं, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है। यह संस्थान एक सम-विश्वविद्यालय है और चिकित्सा और परा चिकित्सा विषयों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

17. अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर : यह वाक एवं श्रवण विकारों वाले रोगियों के निदान, चिकित्सा और परामर्शी सेवाओं में नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। यह वाक और श्रवण व्यवसायियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है।

18. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ : यह संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है और यह वही कार्य करता है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली करता है परन्तु स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में। यह संस्थान केद्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित है और चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और विशिष्ट अस्पताली सेवाओं का एक केद्र है। इस संस्थान से संबद्ध नेहरू अस्पताल में 1268 पलंग हैं।

19. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी : भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं संचालित, यह संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है। इसकी पलंग क्षमता 912 है। यह पुडुचेरी और पडोसी राज्यों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। यह शिक्षण पाठ्यचर्या में नवीनतम विकास को प्रदर्शित करते हुए चिकित्सा शिक्षक प्रशिक्षण केद्र भी चलाता है।

20. कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी : यह देश में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रथम और सबसे बडा मेडिकल कालेज है और यह ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में छात्रों को अवगत कराता है। इस सोसायटी का एक शिक्षण अस्पताल भी है जहां पर 648 पलंग हैं, यहां पर उत्तम नैदानिक और उपचार सुविधाएं हैं और स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त आधार है।

21. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, नई दिल्ली : सफदरजंग अस्पताल में स्थित इस मेडिकल कालेज ने छात्रों के दो बैचों को दाखिला दिया है। इसकी योजना शरीर रचना विभाग में जेनेटिक प्रयोगशाला और एंथ्रोपोलोजी प्रयोगशाला, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में एटोनोमिक प्रयोगशाला और जैव रसायन विभाग में मोलीक्यूलर बायोलाजी प्रयोगशाला स्थापित करने की है।

22. डॉ. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली : डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के परिसर में चिकित्सा, अस्थिभंग, शल्यचिकित्सा, संवेदनाहरण, विकिरण विज्ञान, त्वचा, नेत्र और बाल चिकित्सा जैसी विभिन्न विशिष्टताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के एम डी/एम एस/डी एन बी छात्रों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है।

23. एम्स की तरह के सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों एवं शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकारों के अस्पतालों का उऍायन : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स की तरह के 6 अस्पतालों-सह शिक्षण केन्द्रों को विभिन्न राज्यों में स्थापित करने और राज्य सरकारों के 10 अस्पतालों का उऍायन करने का प्रस्ताव है।

24. अन्य शैक्षणिक संस्थाएं : इनमें आर ए के कालेज आफ नर्सिंग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा अनुदान आयोग इत्यादि शामिल हैं।

25. पत्तन/विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन/प्रतिष्ठान (पोतों की डिरेटाइजेशन सहित) : पत्तन एवं विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन देश के प्रमुख पत्तनों एवं अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में स्वास्थ्य क्लीयरेंस एवं संगरोध प्रशासन को शासित करता है एवं इनके लिए व्यवस्था करता है। इस संगठन का उद्देश्य स्थानिकमारी वाले अधिसूचित देशों से आने-जाने वाले यात्रियों के जरिए देश में होने वाले संचारी रोगों के अंतरराष्ट्रीय प्रसार को रोकना, पीत ज्वर का देश में प्रवेश को रोकना है। भारत में सभी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तनों द्वारा डिरेटिंग छूट प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। अब यह कार्य मुम्बई, कोलकाता, चेऍाई तथा कोचीन पत्तनों पर किया जा रहा है।

26. क्षयरोग/कुष्ठरोग प्रशिक्षण संस्थान : इनमें राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपत्रो तथा अस्का, रायपुर तथा गौरीपुर के क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

27. नर्सिंग सेवाओं का विकास : इसमें नर्सिंग प्रशिक्षण, नौवीं योजना अवधि के दौरान खोले गए नर्सिंग स्कूलों को आवर्ती सहायता, नर्सिंग स्कूलों का मेडिकल कालेज से संबद्ध नर्सिंग कालेज में उऍायन किया जाता है। आर ए के कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली का राष्ट्रीय उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन, मौजूदा नर्सिंग स्कूलों/कालेजों का सुदृढीकरण तथा दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों के लिए आवास की व्यवस्था का प्रावधान है।

28. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली : यह जानपदिक रोग विज्ञानी तथा संचारी रोगों के नियंत्रण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों को संचारी रोगों की जांच एवं नियंत्रण में सेवा/सलाह देने के प्रति समर्पित है। इसके कार्यकलाप अलवर, बंगलौर,कालीकट, कुन्नूर, पटना, राजमुंदरी तथा वाराणसी के विशिष्ट प्रभागों एवं क्षेत्रीय स्टेशनों के जरिए चलाए जाते हैं।

29. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (कंडोमों के मुफ्त वितरण एवं सामाजिक विपणन सहित) : एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएन्सी सिंड्रोम) हाल के वर्षों में एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आया है। एच आई वी संक्रमण तथा एड्स से जुडी बहु पक्षीय समस्याओं से निपटने की तत्काल अत्यावश्यकता समझते हुए सरकार ने विशेषतौर पर एच आई वी संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए कार्यकलापों (इन्टरवेंशन) के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाने संबंधी जागरूकता में अधिक ध्यान देने के बजाय दीर्घकालिक आधार पर एच आई वी/एड्स से निपटने की भारत की क्षमता को सुदृढ करने के उद्देश्य से आई डी ए/विश्व बैंक से उदार ऋण प्राप्त कर पर्याप्त वित्तीय सहायता से एड्स के निवारण एवं नियंत्रण के लिए एक दूसरी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना द्वारा अनेक गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करके तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके लोगों विशेष तौर पर व्यावसायिक यौन कर्मियों एवं उनके ग्राहकों और एस टी डी रोगियों में एच आई वी निवारण व्यवहार को सुदृढ करने का प्रयास किया जाता है।

30. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम : इसमें इस समस्या के प्रति एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना की गई है जिसमें (क) राज्य के भीतर अभिज्ञात नोडल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य दल का प्रशिक्षण (ख) मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता बढाना (ग) ओ पी डी तथा अंतरंग उपचार, दोनों के द्वारा समुदाय में विद्यमान मानसिक रोग की शीघ्र पहचान एवं उपचार हेतु सहायता प्रदान करना तथा डिस्चार्ज किए गए रोगियों की बाद में बार-बार जांच करना तथा (घ) भावी नियोजन, सेवा तथा अनुसंधान में सुधार के लिए राज्य तथा केन्द्र में समुदाय स्तर पर उपयोगी डाटा तथा अनुभव प्रदान करना शामिल हैं ।

31. खाद्य अपमिश्रण निवारण (स्टेपल भोजन के विटामिन एवं मिनरल पुष्टिकरण की व्यवहार्यता जांच योजना की परियोजना सहित) : इसके लक्ष्य हैं (i) राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय मानदण्डों का निर्धारण करना (ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं नियमावली का प्रशासन तथा इसके उपबंधों को लागू करने में राज्यों के साथ समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित करना (iii) प्रशिक्षण, उपकरण तथा प्रयोगशाला सुविधाएं जैसी प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, तथा (iv) उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करना।

32. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन : इसमें एक औषध तकनीकी सलाहकारी बोर्ड की व्यवस्था है जो अधिनियम के प्रशासन से उत्पऍा होने वाले तकनीकी मामलों पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत एक सांविधिक बोर्ड है, तथा इसमें औषध परामर्शदात्री समिति की भी व्यवस्था है जो एक सांविधिक निकाय है यह देशभर में औषध की एक समान प्रयोज्यता पर विचार करती है एवं सरकार से समय-समय पर संशोधन की सिफारिश करती है; औषध जांच प्रयोगशालाओं, राज्य औषध नियंत्रण संगठन की सूचना प्रणाली में सुधार सहित उसका सुदृढीकरण और प्रवर्तन एवं सहायक स्टाफ का सुदृढीकरण; एक तदर्थ समिति के माध्यम से भारतीय भेषज संहिता को तैयार करने एवं इसे अद्यतन बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है।

33. सीरा एवं वैक्सीन का विनिर्माण : इसमें बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है तथा जिसे बी सी जी वैक्सीन और ट्युबरकुलिन, पी पी डी का विनिर्माण एवं राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति करने के लिए स्थापित किया गया था। एफ डी बी सी जी वैक्सीन की आपूर्ति व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा नियत आबंटन के अनुसार की जाती है। साथ ही, इसमें भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर को सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।

34. जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं : इसमें केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, नोएडा, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है, का प्रावधान किया गया है। इस संस्था का उद्देश्य जैविक एवं प्रतिरक्षा विज्ञानी उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जांच प्रक्रियाओं हेतु मानदण्डों को विकसित एवं निर्धारित करना, अन्य राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध विकसित करना, वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान के समकक्ष दक्षता बनाए रखना तथा संबद्ध संस्थानों के कार्मिकों को गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जैविक एवं प्रतिरक्षा विज्ञानी उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण में प्रौद्योगिकी विकास; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का अधीनस्थ कार्यालय, सीरमविज्ञानी संस्थान, कोलकाता में औषध सुग्राहिता जांच, विभागीय उत्पादन के लिए स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन के साथ एंटी सीरा वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए प्रयोगशाला एकक के समुपयोजन का प्रावधान है।

35. जन स्वास्थ्य शिक्षा : इसमें अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता तथा बाल परिचर्या एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सिंगूर जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं, का प्रावधान किया गया है। यह देश में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक है। इसका लक्ष्य पी जी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्मिक शक्ति को विकसित करना; देश में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं एवं रोगों से संबंधित अनुसंधान करना; तथा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए स्वास्थ्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं निष्कर्षों के अनुप्रयोग के लिए विधियां विकसित करने हेतु प्रचालनात्मक अनुसंधान करना है।

36. आपातकालीन चिकित्सा राहत सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन : यह प्राकृतिक आपदा तथा अन्य अप्रत्याशित सम्भाव्यताओं की स्थिति में आपातकालीन चिकित्सा राहत की व्यवस्था करता है।

37. लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली : यह क्षयरोग, जो देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, के उपचार में कार्यरत देश के प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इस संस्थान में गृह आधारित उपचार प्रदान करने के लिए एक क्लिनिक है तथा 520 बिस्तर हैं। यह पिछले 40 वर्षों से लोगों की सेवा करता आ रहा है।

39. अभिघात केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता : इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शहरों/नगरों में अवस्थित राज्य अस्पतालों में आपातकालीन सुविधाओं के उऍायन/सुदृढीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। इस योजना का लक्ष्य दुघर्टना एवं अभिघात सेवाओं के लिए अपेक्षित उपकरणों से सुसज्जित एम्बूलेंसों एवं आधारभूत अनिवार्य उपस्करों द्वारा दुघर्टना एवं आपातकालीन सेवाओं का संवर्धन करना है।

40. राष्ट्रीय आरोग्य निधि : इसमें कैंसर से पीडित गरीबों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

41. अन्य स्वास्थ्य योजनाएं : इसमें स्वास्थ्य परिचर्या के कार्य में जुटी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं संस्थाओं का प्रावधान है जैसे केद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली कैंसर अनुसंधान के अन्तर्गत तम्बाकूमुक्त पहलें, नई दिल्ली क्षय रोग केद्र को अनुदान, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, सेंट जान एम्बूलेंस, स्वास्थ्य सूचना एवं मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ करना आदि।

टेलीमेडिसिन, राष्ट्रीय मधुमेह, हृदयवाहिका रोग तथा आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, बहरेपन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, लेप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, ह्यूमन रेबीज रोकथाम और नियंत्रण पर प्रायोगिक परियोजना, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, मुख स्वास्थ्य, राष्ट्रीय फ्लूरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम, वृद्धों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम और चिकित्सा पुनर्वास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (पूर्वोत्तर में नई पहलें), खेलों में आने वाली चोट के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केद्र, राष्ट्रीय मानक सलाहकारी बोर्ड, और वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू की गई अन्तरराष्ट्रीय संगठन के लिए सदस्यता जैसी नई पहलें शामिल है।

इसके अलावा, वर्ष 2008-09 के दौरान आगे मातृ और बाल स्वास्थ्य के सुदृढीकरण के लिए जिला अस्पताल, राज्य सरकार के मेडिकल कालेजों का उऍायन/सुदृढीकरण, शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन स्वास्थ्य बीमा और नर्सिंग सेवाओं, फार्मेसी परिषदों के उऍायन/सुदृढीकरण और पराचिकित्सा संस्थाओं के सृजन जैसी नई पहलें भी शुरू की गई हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

18 राज्यों पर विशेष ध्यान केद्रित करते हुए सम्पूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य विशेषकर निर्धन एवं असुरक्षित वर्ग के लोगों को सुगम, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावकारी एवं भरोसेमंद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

43.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम : यह मलेरिया, कालाजार, जापानी एंसेफलाइटिस, फाइलेरिया एवं डेंगू जैसे वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देता है। आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा एवं राजस्थान के 100 जिलों एवं 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों को कवर करते हुए विश्व बैंक की सहायता से एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना 1997 से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य 2015 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया तथा 2010 तक कालाजार के उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लक्ष्य का अनुसरण करना है।

43.02 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम : क्षयरोग एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से चल रहा है और इसे सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए चलाया जाता है, जिला क्षयरोग केद्र नोडल एजेन्सियां हैं। वर्ष 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई और परिणामस्वरूप एक संशोधित कार्यनीति बनाई गई। संशोधित कार्यनीति में संक्रमित व्यक्तियों की रोगमुक्ति दर को 85% से अधिक करने पर बल दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम में निदान हेतु विकिरण विज्ञान की बजाय स्पूटम जांच को बढावा दिया जाता है। 602543 नए स्पूटम रोगियों का पता लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 472476 रोगियों का पता लगाया गया और उनका उपचार शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त 84% प्रतिशत की रोगमुक्ति दर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

43.03 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम : यह कार्यक्रम 610 जिला कुष्ठ सोसाइटियों के माध्यम से चलाया जाता है। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उन्मूलन स्तर अर्थात् प्रति 10,000 लोगों पर 1 से कम रोगी व्याप्तता दर प्राप्त कर ली गई है। 6 राज्यों अर्थात बिहार, छत्तीसगढ, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल में अभी भी उन्मूलन का स्तर प्राप्त किया जाना है।

43.04 राष्ट्रीय अभीघात (ट्रेकोमा) एवं दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम: इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा उपायों के साथ-साथ शिविर दृष्टिकोण अपनाकर तथा स्थायी नेत्र परिचर्या सुविधाएं स्थापित करके जरूरतमंदों को तत्काल राहत देने की व्यवस्था की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिले में नेत्र परिचर्या सेवा के प्रबंधन को विकेद्रित करने तथा सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के बीच सहभागिता विकसित करने के लिए जिला दृष्टिहीनता सोसाइटियों की संकल्पना का कार्यान्वयन किया गया है।

43.05 राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम : देश में करीब 71 मिलियन लोगों के आयोडीन अल्पता विकारों से पीडित होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम का मुख्य बल चरणबद्ध ढंग से संपूर्ण खाद्य नमक को आयोडीनयुक्त करना है। 8.51 लाख मीट्रिक टन आयोडीनयुक्त नमक वितरित किया गया है।

43.06 राष्ट्रीय समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम : यह कार्यक्रम संचारी रोगों की निगरानी के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संचारी रोग की निगरानी प्रणाली को सुदृढ करना तथा जिला स्तर पर राज्य की क्षमताओं को विकसित करना है जिससे कि रूग्णता एवं मौतों की बडी संख्या को रोकने के लिए त्वरित उपयुक्त उपचार शुरू करने हेतु जिलों में प्रकोप का शीघ्र पता चलाया जा सके। चरण-III वाले राज्यों की 54 टीमों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

43.07 नशामुक्ति कार्यक्रम : नशामुक्ति कार्यक्रम की भूमिका प्रभावित व्यक्तियों को उपचार सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत हम प्रत्येक नशामुक्ति केद्र के निर्माण के लिए राज्यों को 8.00 लाख रूपए का एक-मुश्त सहायता अनुदान और दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं के व्यय को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थापित नशामुक्ति केद्रों को 2.00 लाख रूपए का आवर्ती अनुदान प्रदान करते हैं।

44. निदेशन एवं प्रशासन : राज्य एवं जिला परिवार कल्याण ब्यूरो, राज्यों/जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के निदेशन एवं प्रशासन के साधन हैं। इस स्कीम के अंतर्गत इन ब्यूरों में तैनात स्टाफ को वेतन का भुगतान किया जाता है। यह वाहनों को बदलने/उनके रख-रखाव की भी व्यवस्था करता है।

45. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप-केद्र) : निचले स्तर पर व्यापक बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति 5000 की ग्रामीण आबादी (आदिवासी एवं पहाडी क्षेत्रों में 3000 की आबादी) के लिए उप-केद्र स्थापित किए जाते हैं। उप-केद्रों में मुख्यतः मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, व्यापक रोग प्रतिरक्षण, अतिसारीय नियंत्रण और संचारी रोग कार्यक्रमों से संबंधित संवर्धनात्मक एवं शैक्षणिक कार्य होते हैं। महिलाओं और बच्चों की अनिवार्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको छोटे-मोटे रोगों के लिए बुनियादी औषधें भी प्रदान की जाती हैं। सभी उप-केद्रों को स्वैप प्रस्ताव के तहत दिनांक 1.4.2002 से केद्रीय सरकार द्वारा धन प्रदान किया जा रहा है।

46. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं : आउटरीच सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने और गर्भनिरोधकों के वितरण के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों में शहरी परिवार कल्याण केद्र काम कर रहे हैं। शहरी मलिन बस्तियों में आउटरीच सेवा प्रदान करने संबंधी प्रणाली को बेहतर करने के लिए शहरी सुधार योजना शुरू की गई। इन योजनाओं के तहत स्टाफ के वेतन, आकस्मिक व्यय और किराए के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

47.01 एवं 47.02 गर्भनिरोधकों का निःशुल्क एवं वाणिज्यिक वितरण: इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि युवा दम्पत्ति प्रजनन आयु वर्ग में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए नसबंदी जैसी परिवार नियोजन की स्थायी विधियों की हिमायत नहीं की जा सकती है। इस कार्यक्रम के तहत उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार नियोजन के जन्म में अन्तर रखने संबंधी विधियों के तहत विभिन्न गर्भनिरोधक अर्थात् खाई जाने वाली गोलियां, सीयू-टी आदि प्रदान किए जाते हैं।

47.03 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के लिए कण्डोमों के निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन : यह सुरक्षित यौन संबंध के लिए एक विकल्प के रूप में कण्डोमों के प्रयोग के जरिए एचआईवी संक्रमण के नियंत्रण के लिए है।

48. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजनाः इस योजना के अंतर्गत, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए औषधों, उपकरणों एवं अन्य उपभोज्यों की आपूर्ति उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ऐर अन्य प्रथम रेफल एककों को की जाती हैं। सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम में औषधों एवं अन्य आपूर्तियों की उपलब्धता अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों की विभिन्न पहलुओं के बारे में विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कार्मिकों को और अधिक प्रशिक्षण तथा राज्यों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को अनुदान दिए जाते हैं। कार्यक्रम संबंधी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यकलाप प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सिबल पूल के तहत कवर किए जाते हैं।

49. नेमी रोगप्रतिरक्षण : इसमें 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को क्षयरोग, कूकुरखांसी, डिप्थीरिया, टेटनस एवं खसरे जैसे वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के लिए टीकाकरण करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य उन दस राज्यों में जहां हेपेटाइटिस-बी का उपयोग किया जा रहा है, में पेंटाबेलेंट टीके को लागू करना है। अन्य राज्यों को चरणबद्ध ढंग से कवर किया जाएगा।

50. पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण : इसमें राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों और उप-राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों के माध्यम से देश में पोलियो वायरस के सभी नस्लों का उन्मूलन करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य 3-18 वर्ष के आयु वर्ग के पोलियो (वाइल्ड वायरस) से प्रभावित बच्चों की उपचारात्मक सर्जरी करना भी है ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।

51. सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण : सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति का उद्देश्य निर्धनों, महिलाओं, बच्चों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं सुविधा के बारे में जागरूकता एवं सूचना का प्रचार-प्रसार करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों के रहन-सहन से संबंधित परिवेश के अनुकूल स्वास्थ्य चिकित्सा प्राप्त करने से संबंधित व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के तहत प्रमुख घटक का जोर सामान्य एवं प्रत्यक्ष संदेशों पर है। नई कार्यनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई है और विभिन्न मल्टीमीडिया साधनों के जरिए नियोजित की जाती है। रेडियो एवं दूरदर्शन के जरिए मीडिया योजना को क्षेत्र एवं संस्कृति- विशिष्ट बनाया गया है। जनसमुदाय की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रव्य-दृश्य मीडिया के लिए साफ्टवेयर बनाया गया है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति का प्रमुख घटक अन्तरवैयक्तिक सम्प्रेषण विधियों से संबंधित है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों अर्थात् डीएवीपी, गीत एवं नाटक प्रभाग एवं क्षेत्र प्रसार निदेशालय के जरिए किया जा रहा है। ये अग्रणी एजेंसियों के रूप में काम करते हैं।

52. राज्यों और केद्र के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान : परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक अर्हता-प्राप्त, प्रशिक्षित एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण को समुचित महत्व दिया जाता है। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण केन्द्रों एवं स्कूलों के नेटवर्क के जरिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कई विख्यात संस्थान अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान आदि प्रशिक्षण कार्यकलाप करने के कार्य में लगे हुए हैं।

53. अनुसंधान संस्थान : इनमें जनांकिकीय, सामाजिक-आर्थिक, क्षेत्र-विशिष्ट और जनसंख्या एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की क्षेत्र-विशिष्ट और सम्प्रेषण पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, इसमें पुरूष एवं महिला गर्भनिरोधकों के विकास के प्रयोजन और प्रजननता विनियम पर अध्ययन करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान की व्यवस्था है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दो अखिल भारतीय सर्वेक्षण अर्थात् (i) बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों के सुदृढीकरण संबंधी योजना के तहत राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित ए एन एम प्रशिक्षण स्कूलों का मूल्यांकन और (ii) निःशुल्क आपूर्ति के तहत वितरित किए गए गर्भनिरोधकों के उपयोग का मूल्यांकन करने संबंधी अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

54.01 मिशन फ्लेक्सिबल पूल : इसमें मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के चयन एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रथम रेफरल एककों और भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नयन की व्यवस्था है। रोगी कल्याण समिति एवं जिला अस्पताल प्रबंधन समिति, मोबाइल चिकित्सा एककों, उप-केन्द्रों के लिए असंबद्ध निधियां का गठन, जिला कार्य योजनाओं की तैयारी, राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के जरिए ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता को जल जांच करने संबंधी किट की आपूर्ति आदि की व्यवस्था है। ये कार्यकलाप चरणबद्ध तरीके से ग्यारहवी योजना के अंत तक जारी रहेंगे।

54.02. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लैक्सिबल पूल : राज्य के विकास तथा जिला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) सहित राज्यों द्वारा फ्लैक्सिबल पूल के माध्यम से विकेन्द्रीकृत योजना और फ्लैक्सिबल प्रोग्रामिंग की सहायता की जाती है जिनमें कमजोर वर्गों से संबंधित परिणामों और समुदाय-आधारित मानीटरिंग और मूल्यांकन पर महत्व दिया है। आई एम आर, एम एम आर को कम करने की तकनीकी कार्यनीतियां तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-1 के रूप में कुल प्रजनन दर (टी एफ आर) को यथावत बनाए रखा जाता है जिसमें आई एम एन सी आई और प्रमाण-आधारित पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-स्त्र्र्र में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीमों के आधार के बजाय अन्य आवश्यकता आधारित योजना बनाने की छूट दी गई है जिसमें उनको सख्त मानदंडों से रियायत दी जाती है, तथापि राज्यों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं उनके संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। इस फ्लैक्सिबल पूल में विश्व बैंक, डीएफआईडी तथा यूएनएफपीए जैसे बाह्य वित्तीय अभिकरणों के 'पूल्ड' निधियों को भी शामिल किया जाता है।

55 क्षेत्रीय परियोजनाएं

55.01 भारत जनसंख्या परियोजनाएं : इस योजना के तहत महाराष्ट्र में बुनियादी स्वास्थ्य परियोजना के सुदृढीकरण के लिए निधियां निर्धारित की गई हैं।

55.03 संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता प्राप्त सिफप्सा परियोजना : परिवार नियोजन सेवा नवीनता में उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं को पुनःअभिमुखी करने और उनको पुनर्जीवित करने के लिए की गई पहल हेतु व्यवस्था है। इस परियोजना को उत्तराखंड और झारखंड राज्यों तक बढा दिया गया है। इसका उद्देश्य बी.सी.सी. और विपणन, निजी क्षेत्र के माध्यम से एकीकृत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी बढाना और सार्वजनिक तथा निजी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए व्यवस्था करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता को सुदृढ करना है।

56.01 परिवार कल्याण सम्बद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना : इस योजना में नसबंदी आपरेशन के पश्चात मौत/चिकित्सीय जटिलताओं के लिए मुआवजा प्रदान करना है। इस योजना में नसबंदी आपरेशन की असफलता के लिए मुआवजा प्रदान करने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में नसबंदी आपरेशन करने के लिए व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने वाले डाक्टरों/ स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है।

56.02 गैर सरकारी संगठन (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता के जरिए समुदाय में इस कार्यक्रम का और अधिक स्वामित्व देने की व्यवस्था है। यह साझेदारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में पहले से ही वर्णित किए गए गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता की कार्यनीति को सुदृढ बनाएगी। विशेषतः गैर-सरकारी संगठन सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी की व्यवस्था के लिए एक सम्पूरक अथवा पूरक भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को जन साधारण तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। उनको क्रियाविधि अपनाने में सहजता होती है तथा वे जनता के साथ आसानी से बेहतर संबंध बना लेते हैं तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रमुख बिन्दु होते हैं। गैर-सरकारी संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यकलाप के अतिरिक्त सेवा प्रदानगी में सहायता देने के लिए शामिल किया जाएगा।

56.03 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) : इसका उद्देश्य आर सी एच-II और एनआर एचएम के तहत रूटीन मॉनीटरिंग प्रणाली को सुदृढ बनाना है। इसके साथ ही इसमें विभिन्न सर्वेक्षण करने की भी व्यवस्था है यथा (i) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (एनएफएचएस-III), (ii) जिला स्तरीय गृह सर्वेक्षण (दौर III) और वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस)। ये सर्वेक्षण जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम की मध्यस्थता के लिए अनुमान प्रदान करेंगे।

56.04 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग : इसके तहत जिन क्रियाकलापों के लिए व्यवस्था है उनमें (i) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से नीति के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करना और मॉनीटर करना (ii) जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्य को तेज करने के लिए जनांकिकी, शैक्षणिक, पर्यावरणिक और विकास संबंधी कार्यक्रमों के बीच सहयोग बढाना (iii) केद्रीय और राज्य सरकारों की सरकारी एजेंसी के बीच योजना और क्रियान्वयन के कार्य में अंतरक्षेत्रीय समन्वय बढाना ताकि नागरिक समाज और निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जा सके तथा नीति में निर्धारित लक्ष्यों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके तथा (iv) इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में जोरदार जन आंदोलन को बढावा देने के कार्य को सुकर बनाना शामिल है।

56.05 सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं : इसमें उन क्षेत्रों में जहां गर्भ निरोधकों का चलन कम है, वहां गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन के लिए गैर सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करने की व्यवस्था है।

56.06 अन्य योजनाएं : इसमें भारतीय आयुर्विज्ञान संघ (आईएमए) को राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थित उनकी स्थानीय शाखाओं के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए उसकी बैठकों/सम्मेलनों/मेलों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

57. अंतर्राष्ट्रीय अंशदान : इसके तहत स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठनों अर्थात अंतरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.), पी.पी.डी. ढाका और आईकोम्प, कुआलालुम्पुर को भारत सरकार के अंशदान की व्यवस्था है।

59. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान : योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए उपुर्यक्त विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में नीच दिए गए ब्यौरों के अनुसार 2,100 करोड रूपए का प्रावधान शामिल कर लिया गया है।